भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति

चेतन राजपूत*, प्रो0 नीता बोरा शर्मा**

सारांश

भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। वैदिक काल में महिला ऋषियों और विदुषियों का उल्लेख मिलता है, परंतु मध्यकालीन भारत में सामाजिक कुप्रथाओं ने उनकी स्थिति को सीमित कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी ने पुनः उनके महत्व को रेखांकित किया और स्वतंत्र भारत में उन्हें समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए। संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकारों के बावजूद, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सीमित ही रही है। यह शोध इसी विषमता की गहराई से पड़ताल करता है। यह शोध पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए, किंतु वास्तविक सशक्तिकरण की प्रक्रिया आज भी अधूरी प्रतीत होती है। यह अध्ययन महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, पंचायती राज संस्थाओं में उनकी भूमिका, संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व, महिला आरक्षण विधेयक, एवं सामाजिक–सांस्कृतिक अवरोधों का विश्लेषण करता है। इस शोध का उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए संभावित सुधारों की पहचान करना है।

शब्द संकेत : महिला, भारतीय संविधान, लिंग, राजनीति।

भारतीय संविधान और महिलाओं के राजनीतिक अधिकार

भारत अपनी विविधता, जटिल सामाजिक–राजनीतिक संरचना के साथ ही विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लैंगिक समानता और समावेशिता के सिद्धांतों पर आधारित भारतीय संविधान के बावजूद, महिलाओं की स्थिति भारतीय राजनीति में असमान और चुनौतीपूर्ण रही है। स्वतंत्रता के बाद से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है, लेकिन संसद, विधानसभाओं और राजनीतिक दलों में उनका प्रतिनिधित्व और प्रभाव अभी भी कम है। यह शोध पत्र महिलाओं की स्थिति को भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक, सामाजिक, संरचनात्मक, नीतिगत और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझाता है। यह चुनौतियों, सुधारों, अंतर्राष्ट्रीय तुलना और भविष्य की संभावनाओं को व्यापक रूप से प्रस्तुत करता है।

ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होता है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में, सामाजिक सुधार आंदोलनों, जैसे ब्रह्म समाज और आर्य समाज, ने महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक भूमिका को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता संग्राम में सरोजिनी नायडू (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, 1925), विजयलक्ष्मी पंडित, और कमला नेहरू जैसी महिलाओं ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। गाँधीवादी आंदोलनों, जैसे नमक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी ने उनकी राजनीतिक चेतना को जागृत किया। स्वतंत्रता के बाद, 1950 में लागू भारतीय संविधान ने लैंगिक समानता को संस्थागत रूप दिया। ''अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15 (लिंग आधारित भेदभाव पर रोक)''[1] और ''अनुच्छेद 39 (समान अवसर) ने महिलाओं के लिए समान अधिकार''[2] सुनिश्चित किए। 1951–52 के पहले आम चुनाव में 22 महिलाएँ लोकसभा के लिए चुनी गईं, जो कुल 543 सीटों का 4.4 प्रतिशत था। 1966 में इंदिरा गाँधी का भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनना एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिसने वैश्विक स्तर पर भारतीय महिलाओं की राजनीतिक क्षमता को प्रदर्शित किया। 1992 में, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया, जिसने स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी को क्रांतिकारी रूप से बढ़ाया।''[3] इन नीतिगत बदलावों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान किए, लेकिन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उनकी स्थिति अभी भी सीमित है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का वर्तमान परिदृश्य

भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति को विभिन्न पहलुओं के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे संसद में प्रतिनिधित्व 2023 तक, 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, जो कुल 543 सीटों का 14.4 प्रतिशत है, जबकि 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद यह संख्या घटकर 74 महिला सांसदों की रह गई। यह संख्या स्वतंत्रता के बाद से सबसे अधिक है, लेकिन वैश्विक औसत (25 प्रतिशत) और रवांडा (61 प्रतिशत), क्यूबा (53 प्रतिशत) जैसे देशों से काफी कम है (Inter-

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड
** प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड

Parliamentary Union, 2023)। राज्यसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व 11 प्रतिशत के आसपास है। कुछ प्रमुख महिला सांसद, जैसे अन्नपूर्णा देवी, अनुप्रिया पटेल, निर्मला सीतारमण और सुप्रिया सुले, नीति निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन उनकी संख्या अभी भी अपर्याप्त है। विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के आधार पर देखने पर ज्ञात होता है कि राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व औसतन 9–10 प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल (13.7 प्रतिशत) और तमिलनाडु (12 प्रतिशत) जैसे राज्यों में यह अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि बिहार (8 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (7 प्रतिशत) में कम है। क्षेत्रीय दलों, जैसे तृणमूल कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने महिलाओं को अधिक टिकट देने में प्रगति दिखाई है, लेकिन राष्ट्रीय दल अभी भी पीछे हैं।

73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने स्थानीय शासन में महिलाओं की स्थिति को बदल दिया। 2023 तक, देश भर में लगभग 14 लाख महिला प्रतिनिधि पंचायतों और नगरपालिकाओं में कार्यरत हैं (पंचायती राज विभाग 2023)। राजस्थान, बिहार, और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है, जिससे ग्रामीण महिलाएँ सरपंच और पार्षद जैसे पदों पर उभरी हैं। हालाँकि, कई मामलों में, महिला प्रतिनिधियों को ''प्रॉक्सी'' के रूप में देखा जाता है, जहाँ पुरुष रिश्तेदार उनके निर्णयों को नियंत्रित करते हैं।

प्रमुख राजनीतिक दलों में महिला विंग का गठन देखने को मिलता है जैसे भाजपा का महिला मोर्चा, कांग्रेस की महिला कांग्रेस, और आप की महिला शाखा आदि। लेकिन शीर्ष नेतृत्व में महिलाओं की उपस्थिति सीमित है। उदाहरण के लिए, 2023 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में केवल 12 प्रतिशत महिलाएँ थीं। क्षेत्रीय दलों में ममता बनर्जी (टीएमसी), मायावती (बीएसपी), और जयललिता (पूर्व में एआईडीएमके) जैसे नेताओं ने मजबूत महिला नेतृत्व प्रदर्शित किया है, लेकिन यह अपवाद है। ''पितृसत्तात्मक मानसिकता महिलाओं को नेतृत्व के लिए अयोग्य मानती है।''[4] ''केवल 65 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ साक्षर हैं, जो उनकी राजनीतिक भागीदारी को सीमित करती है।''[5] प्रमुख दलों में केवल 10–12 प्रतिशत टिकट महिलाओं को दिए जाते हैं। ''30 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों ने चुनावी हिंसा का सामना किया।''[6] इस खंड में इन चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण, वास्तविक उदाहरण और आँकड़े शामिल हैं। ''भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिन्होंने 1966–1977 और 1980–1984 तक नेतृत्व किया।''[7] पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिन्होंने क्षेत्रीय राजनीति को पुनर्परिभाषित किया। ''सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर रही हैं।''[8] भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति में प्रगति हुई है, लेकिन लैंगिक समानता के लिए और प्रयास आवश्यक हैं। संवैधानिक प्रावधान, नीतिगत सुधार और सामाजिक परिवर्तन महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं।

चुनावों में निरंतर महिला मतदाताओं की संख्या और भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में, 67.01 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया, जो पुरुषों (67.18 प्रतिशत) के बहुत करीब था (ईसीआई 2019), 2024 के लोकसभा चुनाव में, 65.78 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया, जो पुरुषों (65.55 प्रतिशत) के बहुत करीब था (ईसीआई 2024)। केरल, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में महिला मतदान पुरुषों से अधिक रहा। यह दर्शाता है कि महिलाएँ राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय हैं, लेकिन उनकी यह सक्रियता नेतृत्व में पूरी तरह परिलक्षित नहीं होती। केंद्र और राज्य मंत्रिमंडलों में महिलाओं की उपस्थिति सीमित है। 2023 में, नरेंद्र मोदी सरकार में 11 महिला मंत्री थीं, जो कुल मंत्रियों का 14 प्रतिशत था, जबकि 2024 में निर्वाचित नरेंद्र मोदी सरकार में मात्र 7 महिला मंत्री हैं। कुछ प्रमुख विभाग, जैसे वित्त (निर्मला सीतारमण), महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आदि महिलाओं को सौंपे गए हैं, जो उनकी बढ़ती प्रभावशीलता को दर्शाता है। फिर भी, नीति निर्माण में उनकी भूमिका को और बढ़ाने की आवश्यकता है।

महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मान्यताएँ महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में सीमित करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों और सामाजिक उपेक्षाओं के कारण राजनीति में प्रवेश करने में कठिनाई होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 65.5 प्रतिशत थी, जो पुरुषों (82.1 प्रतिशत) से कम थी। 65 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं साक्षर हैं जो उनकी राजनीतिक भागीदारी को सीमित करती है।''[9] कम शिक्षा और जागरूकता राजनीतिक नेतृत्व को प्रभावित करती है। राजनीति में महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, ट्रोलिंग, और हिंसा का सामना करना पड़ता है, जो उनकी भागीदारी को हतोत्साहित करता है। सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां एक नई चुनौती हैं। आर्थिक निर्भरता की भी महिलाओं की स्थिति निर्धारण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाएँ आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हैं, जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को सीमित करता है।

चुनावी खर्च : भारत में चुनावी अभियान महंगे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में औसतन एक उम्मीदवार ने 25–50 करोड़

रुपये खर्च किए (एडीआर, 2019)। महिलाओं के लिए इतने संसाधन जुटाना कठिन है। **संसाधनों तक पहुँच** : राजनीतिक नेटवर्क और वित्तीय संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच सीमित है, जो उनकी उम्मीदवारी को प्रभावित करता है।

राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने में अनिच्छा दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें 'जीतने योग्य' नहीं माना जाता। 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 9 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएं थीं (ईसीआई, 2019)। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है, जिसके कारण उनका प्रतिनिधित्व सीमित रहता है। **प्रॉक्सी नेतृत्व** : पंचायतों में कई महिला प्रतिनिधि अपने पुरुष रिश्तेदारों के नियंत्रण में काम करती हैं, जो वास्तविक सशक्तीकरण को कम करता है। भारत की क्षेत्रीय विविधता महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करती है। दक्षिणी राज्य, जैसे तमिलनाडु और केरल में उच्च साक्षरता और सामाजिक प्रगति के कारण महिलाओं की भागीदारी अधिक है। इसके विपरीत, उत्तर भारत के राज्यों, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में सामाजिक रूढ़ियाँ और कम साक्षरता उनकी भागीदारी को सीमित करती हैं।

भारत सरकार और संस्थानों ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे : संवैधानिक और कानूनी प्रावधान अनुच्छेद 14 : कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 : लिंग आधारित भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 39 : नीति–निर्देशक तत्व, जो समान अवसरों को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 243डी और 243टी पंचायतों और नगरपालिकाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण। पंचायती राज सुधार अधिनियम 1992 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने स्थानीय शासन में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीं। बिहार (2006) और राजस्थान (2010) जैसे राज्यों ने इसे 50 प्रतिशत तक बढ़ाया। इन सुधारों ने ग्रामीण महिलाओं को सरपंच, जिला परिषद सदस्य, और पार्षद जैसे पदों पर उभरने का अवसर दिया। 2008 में प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक (108वाँ संवैधानिक संशोधन) संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। यह 2010 में राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में लंबित रहा। 2023 में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में इसे फिर से पेश किया गया और संसद में पारित हुआ। हालाँकि, इसका कार्यान्वयन 2026 की जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर है। चुनाव आयोग का Systematic Voters Education and Electoral Participation (SVEEP) कार्यक्रम महिला मतदाताओं को प्रोत्साहित करता है। 2019 में, इसने विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को मतदान के लिए जागरूक किया। महिला सशक्तीकरण योजनाएँ बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएँ अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को मजबूत करती हैं। राष्ट्रीय महिला नीति 2001 ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान किया।

महिलाओं के लिए राजनीतिक परिक्षेत्र में अनेक गंभीर चुनौतियाँ हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने से पहले सामाजिक अनुमति की आवश्यकता होती है। कई समुदायों में, राजनीति को ''पुरुषों का क्षेत्र'' माना जाता है। लैंगिक रूढ़ियों के कारण महिलाओं को कमजोर या भावनात्मक माना जाता है, जिसके कारण उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए जाते हैं। राजनीति में महिलाओं को प्रचार के दौरान लैंगिक उत्पीड़न, अपमान, और ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। आर्थिक और संसाधन संबंधी चुनौतियाँ भी हैं क्योंकि चुनावी अभियान के लिए बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता होती है, जो अधिकांश महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं है। भारत में केवल 20 प्रतिशत महिलाएं कार्यबल में हैं, जो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित करता है। राजनीतिक दल प्रायः पुरुष उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उन्हें अधिक ''वोट जुटाने वाला'' माना जाता है। पंचायतों में कई महिला प्रतिनिधि अपने पति या पुरुष रिश्तेदारों के नियंत्रण में काम करती हैं, जो उनके सशक्तीकरण को कम करता है। **संस्थागत समर्थन की कमी** : संसद और विधानसभाओं में आरक्षण की अनुपस्थिति महिलाओं की प्रगति को रोकती है। क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताएं भी महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। उत्तर भारत में सामाजिक रूढ़ियाँ और कम साक्षरता महिलाओं की भागीदारी को सीमित करती हैं, जबकि दक्षिणी राज्यों में बेहतर शिक्षा और सामाजिक प्रगति के कारण स्थिति बेहतर है। अनुसूचित जाति, जनजाति, और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाएँ दोहरी भेदभाव का सामना करती हैं।

महिला आरक्षण विधेयक एवं राजनीति में महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ

वैश्विक स्तर पर, भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कई देशों से पीछे है– रवांडा : संसद में 61 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। स्वीडन : 46 प्रतिशत महिला सांसद, जो लैंगिक समानता को दर्शाता है। मेक्सिको : 50 प्रतिशत आरक्षण नीति के कारण संसद में लैंगिक समानता। नेपाल : संविधान में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण, जिसके कारण संसद में 32 प्रतिशत महिलाएँ। भारत का 14.4 प्रतिशत संसदीय प्रतिनिधित्व, बांग्लादेश (20 प्रतिशत) और पाकिस्तान (20 प्रतिशत) जैसे पड़ोसी देशों से भी कम है। हालांकि, स्थानीय शासन में भारत की 33–50

प्रतिशत आरक्षण नीति कई देशों से आगे है।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं : महिला आरक्षण विधेयक का त्वरित कार्यान्वयन करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम को परिसीमन के बाद शीघ्र लागू किया जाए। भारत के प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला उम्मीदवार अनिवार्य करना। ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण, नीति निर्माण, और प्रचार रणनीति पर कार्यशालाएँ आयोजित की जाए। राजनीति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और ट्रोलिंग को रोकने के लिए कड़े कानून और साइबर सुरक्षा नीतियाँ, डिजिटल और पारंपरिक मीडिया के माध्यम से महिला मतदाताओं और नेताओं को प्रोत्साहित करना। महिला उम्मीदवारों के लिए सरकारी अनुदान या कम लागत वाले प्रचार विकल्प प्रदान करना। भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति में सुधार की अपार संभावनाएँ हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कार्यान्वयन संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की उपस्थिति को बढ़ा सकता है।

शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियाँ टूट रही हैं। डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया ने महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का नया मंच प्रदान किया है, जो प्रचार और जागरूकता में सहायक है। यदि भारत वैश्विक लैंगिक समानता के मानकों को अपनाता है, तो यह न केवल लोकतंत्र को मजबूत करेगा, बल्कि समावेशी और टिकाऊ विकास को भी बढ़ावा देगा।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति में स्वतंत्रता के बाद से उल्लेखनीय प्रगति हुई है, विशेष रूप से स्थानीय शासन और मतदाता भागीदारी में। फिर भी, संसद, विधानसभाओं और दलीय नेतृत्व में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। सामाजिक, आर्थिक, और संस्थागत बाधाएं उनकी प्रगति को सीमित करती हैं। नीतिगत सुधार, जैसे महिला आरक्षण विधेयक का कार्यान्वयन और सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। भारत का लोकतंत्र तभी पूर्ण रूप से समावेशी होगा, जब महिलाएं राजनीति में समान और प्रभावी भागीदार बनेंगी।

निष्कर्ष

भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए व्यापक सामाजिक और संवैधानिक बदलाव की आवश्यकता है। महिलाओं को राजनीति में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होने से समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं के बिना एक सशक्त लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ हैं। वर्तमान में, उनका प्रतिनिधित्व कम है, और ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम'' के कार्यान्वयन से भविष्य में सुधार की उम्मीद है। सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं को दूर करने के लिए सतत प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें महिलाओं को अधिक अवसर और समर्थन प्रदान करना शामिल है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, भारत का संविधान, विधि एवं न्याय मंत्रालय, 2020, पृ0 12
2. भारत सरकार, भारत का संविधान, विधि एवं न्याय मंत्रालय, 2020, पृ0 36
3. बसु, अमृता, भारत में महिलाएँ, शक्ति और राजनीति, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2016, पृ0 78
4. मेनन, निवेदिता, भारत में लिंग और राजनीति, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999, पृ0 34
5. कुमार, संजय, भारतीय राजनीति में महिलाएँ : सशक्तिकरण और चुनौतियाँ, सेज प्रकाशन, 2020, पृ0 56
6. बसु, अमृता, भारत में महिलाएँ, शक्ति और राजनीति, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2016, पृ0 123
7. बसु, अमृता, भारत में महिलाएँ, शक्ति और राजनीति, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2016, पृ0 56–56
8. मेनन, निवेदिता, भारत में लिंग और राजनीति, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999, पृ0 67
9. कुमार, संजय, भारतीय राजनीति में महिलाएँ : सशक्तिकरण और चुनौतियाँ, सेज प्रकाशन, 2020, पृ0 56